

From No. III  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)


फखरुद्दीन बनाम किशनलाल यगै0  
हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज  
प्रार्थना पत्र -212 संख्या 168 वर्ष 2021

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख में  
जारी हुए

आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है को  
सूना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बन्ता है  
एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।

अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 01.09.21 तक अस्थाई निषेधाज्ञा बन्दरोजा से  
पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2378/0.94 है0 वाके ग्राम गुवाल्दा  
पर वादी के हिरसे तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

क्यो न उक्त आदेश ताफैरला वाद **Absolute** कर दिया जावे ? कोई  
उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जयें अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जवाब पेश करे। वकील  
प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलवाने जारी करा पो0 रसीद 07 दिवस में पेश करे  
अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो।


  
उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा(अलवर)

16/12/21  
पत्रावली प्रशासन गावों के लग अभियान-2021

कैम्प कोर्ट में पंचायत मुख्यालय.....

पर पेश हुई। फलकारान उपस्थित/अनुपस्थित  
कोर्ट के ग में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका।


अतः पत्रावली पूर्व विद्यमान कार्यवाही हेतु दिनांक  
...0...को न्यायालय हाजा में पेश हो।

  
शिविर प्रवारी

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर, तिजारा (अलवर)

24/12/21 आज पत्रावली पेश हुई।.....

उपस्थित पत्रावली मूल वाद के साथ दिनांक

...को पेश हो।  


उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

यह ह क हाल आराज खसरा नम्बर 2378 रकबा 0.91 है0 वाके  
गुवाल्दा, तहसील तिजारा तिजारा

11/05/22

आज पत्रावली पेश हुई। प्राप्ति/धारि

व्यक्तित्व पत्रावली मूल बाद के साथ दिनांक

19/05/22 को पेश है। Oh

उपस्थंड अधिकारी, तिजारा

19/05/22

आज पत्रावली पेश हुई। प्राप्ति/धारि

व्यक्तित्व पत्रावली मूल बाद के साथ दिनांक

03/08/22 को पेश है। Oh

उपस्थंड अधिकारी, तिजारा

03/08/22

आज पत्रावली पेश हुई। प्राप्ति/धारि

व्यक्तित्व पत्रावली मूल बाद के साथ दिनांक

19/05/22 को पेश है। Oh

उपस्थंड अधिकारी, तिजारा

12-11-22

आज पत्रावली पेश हुई। प्राप्ति धारि 5 पत्रावली से  
व्यक्तित्व मूल बाद काठि हो गया है अतः  
पत्रावली काठि किया गया, बाद निर्धारित तरीका  
मिलान मूल बाद हो। Oh

उपस्थंड अधिकारी  
तिजारा (अलवर) राज०